**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 446 सन 2018
अनवान :–

1. राजेन्द्रसिह 2 सुरेन्द्रसिह पि0 रूधवीरसिह जाति राजपुत निवासी मलवाणी तहसील नोहर

वादी

**बनाम**

1 रूधवीर पुत्र सुलतानसिह जाति राजपुत निवासी मलवाणी तहसील नोहर
2 पुजा पुत्री रूधवीरसिह जाति राजपुत निवासी मलवाणी तहसील नोहर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री हरीसिह सिहाग अधिवक्ता वादी

**निर्णय दिनांक :–** 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 3 बारानी के प0न0 मु0न0 335/352(66) के किला न0 13 ,16 ता 18 व 23 तथा प0न0 मु0न0 333/358(245) के किला न0 3 ता 8 ,13 से 18 व प0न0 मु0न0 334/358(246) के किला न0 1 ,2 तथा प0न0 मु0न0 332/361(367) के किला न0 19 ,20 व 21/2 व 22/2 व मु0न0 331/361(368) के किला न0 16 ,17 व 24/2 व 25/2 की कुल 6.5220हैक भूमि पूर्व में वादीगण के के दादा सुलतानसिह के नाम से दर्ज थी। वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुलतानसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है इसलिये वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम से दर्ज है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 , ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया ।

हमने वकील वादीगण का सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज है जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी का काबिल डिक्री है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 3 बारानी के प0न0 मु0न0 335/352(66) के किला न0 13 ,16 ता 18 व 23 तथा प0न0 मु0न0 333/358(245) के किला न0 3 ता 8 ,13 से 18 व प0न0 मु0न0 334/358(246) के किला न0 1 ,2 तथा प0न0 मु0न0 332/361(367) के किला न0 19 ,20 व 21/2 व 22/2 व मु0न0 331/361(368) के किला न0 16 ,17 व 24/2 व 25/2 की कुल 6.5220हैक( बारानी – 6.2830 हैक्ट गै0मु0रास्ता 0.1130हैक , गै0मु0 ढाणी 0.1260हैक ) जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaia

~~उपखण्ड अधिकारी~~ ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official